मै0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 (मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल), ग्राम–भैंसा, तहसील व जिला–मथुरा में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता 53395 कि0ली0 से 11200 कि0ली0 बढाकर कुल क्षमता–64595 कि0ली0 किए जाने की लोक सुनवाई हेतु बाद, ग्राम–भैंसा मार्केटिंग टर्मिनल परिसर, मथुरा में अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय (वि0/रा0), मथुरा की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2018 को पूर्वान्ह 10.00 बजे आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 (मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल), ग्राम–भैंसा, तहसील व जिला–मथुरा में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता 53395 कि0ली0 से 11200 कि0ली0 बढाकर कुल क्षमता–64595 कि0ली0 किए जाने हेतु मार्केटिंग टर्मिनल, मथुरा द्वारा आवेदन किया गया जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–एस0ओ0–1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 में निहित प्राविधानों तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.05.2018 द्वारा टॉर (ToR) जारी किया गया है। उक्त टॉर के क्रम में पर्यावरणीय दृष्टिकोंण से लोक सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 25563/सी–4/एनओसी/854/2018 दिनांक 31.08.2018 के अनुपालन में समचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 07.10.2018 के अनुसार आज दिनांक 12.11.2018 को यथा प्रस्तावित स्थल वाद मार्केटिंग टर्मिनल परिसर, मथुरा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में श्री रवीन्द्र कुमार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), मथुरा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुयी। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त निम्नवत है–

1. सर्व प्रथम अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा लोक सुनवाई के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र कुमार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), मथुरा को सभाकक्ष में आगमन पर उनके स्वागतोपरान्त उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण से अवगत कराया गया। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.05.2018 द्वारा टॉर (ToR) जारी किया गया है। उक्त टॉर के क्रम में पर्यावरणीय दृष्टिकोंण से लोक सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 25563/सी–4/एनओसी/854/2018 दिनांक 31.08.2018 के अनुपालन में समचार पत्रों में दिनांक 07.10.2018 को विज्ञपित प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन से आज दिनांक 12.11.2018 तक एक लिखित रूप में दिनांक 03.11.2018 को आदित्य तैनगुरिया, एडवोकेट, 24, हीराबाग कालोनी, दयालबाग, आगरा–5 द्वारा आपत्ति प्राप्त हुआ है, जो संलग्न है।
2. उक्त के उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आर0सी0 जोशी, महा प्रबन्धक मार्केटिंग को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी से सभाकक्ष में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु आमन्त्रित किया गया। तदोपरान्त मै0 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 (मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल), ग्राम–भैंसा, तहसील व जिला–मथुरा के पर्यावरणीय परामर्शदाता मै0 ए0बी0सी0 टैक्नो लैब्स इण्डिया प्रा0लि0, चैन्नई के प्रतिनिधि श्री सुशील मेश्राम द्वारा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता 53395 कि0ली0 से 11200 कि0ली0 बढाकर कुल क्षमता–64595 कि0ली0 किए जाने के बारे में पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन (पी0पी0टी0) के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की गयी।

Scanned by CamScanner

श्री राजेश नैय्यर, महाप्रबन्धक, मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तारीकरण परियोजना में दो 5000 ली0 के स्टोरेज टैंक जिसमें बी0एस0–6 ग्रेड का पैट्रोल एवं दो 600 ली0 के स्टोरेज टैंक जिसमें बायो डीजल स्टोर किया जायेगा का निर्माण प्रस्तावित है।

4. श्री राजेश नैय्यर, महाप्रबन्धक (आपरेशन), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि बी0एस0–6 ग्रेड के पैट्रोल में 10 पी0पी0एम0 से कम सल्फर की मात्रा होती है।

5. श्री राजेश नैय्यर, महाप्रबन्धक (आपरेशन), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम–भैंसा के निवासियों को यथा सम्भव सहयोग सी0एस0आर0 के माध्यम से किया जाता है।

6. उक्त प्रजेन्टेशन एवं इण्डियन आयल कार्पो0लि0 के मार्केटिंग टर्मिनल के प्रतिनिधि को सुनने के उपरान्त उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा क्रमवार प्रश्न एवं पर्यावरणीय परामर्शदाता/मार्केटिंग टर्मिनल के पदाधिकारियों द्वारा उत्तर दिये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है–

प्रश्नः श्री ब्रज विहारी, निवासी ग्राम–भैंसा द्वारा परियोजना के निर्माण में रोजगार के क्या अवसर है?

उत्तरः श्री राजेश नैय्यर, महाप्रबन्धक (आपरेशन), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के निर्माण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आस–पास के ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

प्रश्नः श्री चन्द्र, ग्राम–बल्देव द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना के निर्माण से खेती/फसलों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

उत्तरः पर्यावरणीय परामर्शदाता मै0 ए0बी0सी0 टैक्नो लैब्स इण्डिया प्रा0लि0, चैन्नई के प्रतिनिधि श्री सुशील मेश्राम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना में स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाना है, जिसमें निर्माण स्थल पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था एवं उपाय किये जायेंगे जिससे किसी भी फसल का नुकसान होने की कोई सम्भावना नहीं है।

प्रश्नः श्री सुदीप, ग्राम–बाद द्वारा जानना चाहा गया कि इस परियोजना में कहॉ–कहॉ वृक्षरोपण का कार्य किया जायेगा?

उत्तरः श्री के0एस0 चौधरी, चीफ टर्मिनल मैनेजर, मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार 33 प्रतिशत ग्रीन वेल्ट का विकास किया जाना आवश्यक है। उक्त परियोजना में भी 33 प्रतिशत जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।

प्रश्नः श्री भुल्ली, ग्राम–बाद द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में जानना चाहा गया?

उत्तरः श्री राजेश नैय्यर, महाप्रबन्धक (आपरेशन), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उक्त परियोजना में केवल घरेलू प्रयोजनार्थ जल का प्रयोग किया जायेगा जिससे जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का एस0टी0पी0 (सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट) लगाये जाने का प्राविधान रखा गया है।

प्रश्नः श्री रोहित, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण की क्या व्यवस्था की गयी है?

Scanned by CamScanner

उत्तरः श्री के0एस0 चौधरी, चीफ टर्मिनल मैनेजर, मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के निर्माण स्थल को चारों तरफ से कवर्ड करके निर्माण कार्य किया जायेगा एवं निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मशीनें अत्याधुनिक एवं कैनोपी सहित होंगी जिससे ध्वनि प्रदूषण की सम्भावना नगण्य रहेगी।

प्रश्नः श्री महावीर, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना निर्माण में घरेलू प्रयोजनार्थ जल की आवश्यकता कहां से पूरी की जायेगी एवं इस हेतु किसी अनुमति की भी आवश्यकता होती है क्या?

उत्तरः श्री के0एस0 चौधरी, चीफ टर्मिनल मैनेजर, मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के निर्माण कार्य में घरेलू प्रयोजनार्थ जल की पूर्ति मथुरा रिफाइनरी में स्थापित एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत जल से की जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि घरेलू प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति भूमिगत जल का प्रयोग/बोरवेल के माध्यम से उक्त निर्माण कार्य एवं संचालन कार्य में नहीं किया जायेगा।

प्रश्नः श्री ओमवीर सिंह, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त संस्था द्वारा सामाजिक क्षेत्र जैसे–स्कूल, चिकित्सा, रोजगार सृजन आदि में क्या योगदान है?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि इस संस्था द्वारा मथुरा रिफाइनरी, टाउनसिप में दो स्कूलों का संचालन एवं मै0 स्वर्ण जयन्ती अस्पताल का संचालन किया जाता है जिसमें आस–पास के गांव के बच्चों की पढाई एवं लोगों का इलाज किया जाता है।

प्रश्नः श्री हंसराज, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि बी0एस0–4 एवं बी0एस0–6 में क्या अन्तर है?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि बी0एस0–4 के सापेक्ष बी0एस0–6 में सल्फर इमीशन कम होता है एवं यह भी अवगत कराया कि हिन्दुस्तान का यह पहला मार्केटिंग टर्मिनल है जहां पर बी0एस0–6 का भण्डारण एवं डिस्ट्रीव्यूसन किया जायेगा।

प्रश्नः श्री निहाल सिंह, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना के निर्माण से जनित मिट्टी, मलवा आदि का निस्तारण किस प्रकार किया जायेगा?

उत्तरः पर्यावरणीय परामर्शदाता मै0 ए0बी0सी0 टैक्नो लैब्स इण्डिया प्रा0लि0, चैन्नई के प्रतिनिधि श्री सुशील मेश्राम द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के निर्माण से जनित अपशिष्ट/मलवा को नियमानुसार ठोस अपशिष्ट नियम 2016 एवं निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट नियम 2016 का अक्षरसः अनुपालन किया जायेगा।

प्रश्नः श्री रामवीर सिंह, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि इस परियोजना के निर्माण के समय कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं दुर्घटना से बचने/सहयोग की क्या व्यवस्था रहेगी?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं दुर्घटना से बचाव हेतु समय–समय पर कैम्प लगाये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

प्रश्नः श्री बलवीर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि वायु प्रदूषण को कम करने के क्या–क्या उपाय किये जायेंगे?

उत्तरः विभिन्न अनुश्रवण केन्द्रों पर ऑन लाइन मॉनीटरिंग की जाती है। डी0जी0 सैटों में बी0एस0–6 स्तर का डीजल प्रयोग किया जायेगा।

प्रश्नः श्री डी0के0 गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा जानना चाहा किया कि परियोजना से जनित घरेलू सीवेज के निस्तारण की व्यवस्था एवं ट्रकों के आवागमन से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण की क्या व्यवस्था रहेगी?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे परिसर में कोई एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। घरेलू उत्प्रवाह को पाइप लाइन द्वारा रिफाइनर एस0टी0पी0 पर भेजा जाता है। उक्त स्थल पर ई0टी0पी0 स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

प्रश्नः श्री रणजीत सिंह, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पर्यावरणीय परामर्शदाता मै0 ए0बी0सी0 टैक्नो लैब्स इण्डिया प्रा0लि0, चैन्नई के प्रतिनिधि से जानना चाहा किया कि परियोजना के विस्तारीकरण हेतु किन–किन क्षेत्रों एवं महीनों में जल/वायु/ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण किया गया था?

उत्तरः मार्च–2017 से फरवरी–2018 तक अनुश्रवण किए गये हैं।

प्रश्नः डा0 नीरज चतुर्वेदी, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा जानना चाहा गया कि क्या कोई मैट्रोलॉजीकल डाटा आपके पास उपलब्ध है अथवा नहीं?

उत्तरः मैट्रोलॉजीकल डाटा उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्नः श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त परियोजना में कितने वृक्षों को रोपित किया जाना है एवं वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है अथवा नहीं?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि सीजन में इस प्रकार के पौधे लगाये जाने का प्रस्ताव है जिससे वायु प्रदूषण में कमी आये। सोलर प्लांट स्थापना प्रस्तावित है।

प्रश्नः श्री सम्भू पाराशर, ग्राम–भैंसा द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त संस्था द्वारा स्किल डेवलपमेन्ट की क्या योजना है?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि समय–समय पर स्किल डवलपमेन्ट हेतु कैम्प लगाये जाते हैं।

प्रश्नः श्री रणजीत सिंह, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा जानना चाहा गया कि उक्त परियोजना विस्तारीकरण के निर्माण में यदि कोई दुर्घटना की स्थिति होती है तो क्या श्रमिकों/कार्मिकों को कोई इन्स्योरेन्स आदि की व्यवस्था है या नहीं?

उत्तरः श्री आर0सी0 जोशी, महाप्रबन्धक (मार्केटिंग), मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल द्वारा अवगत कराया गया कि स्वर्ण जयन्ती हास्पीटल मथुरा रिफाइनरी द्वारा संचालित किया जाता है एवं सभी कार्मिकों एवं आस–पास के नागरिकों का उपचार किया जाता है। श्रमिकों के इन्स्योरेन्स का भी प्रबन्ध किया गया है।

Scanned by CamScanner

7. लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल पर कुल 51 सदस्य/सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

उक्त के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा मार्केटिंग टर्मिनल में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता 53395 कि0ली0 से 11200 कि0ली0 बढाकर कुल क्षमता–64595 कि0ली0 के विस्तारीकरण से जनपद के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा एवं पैट्रोल की ग्रेडिंग बी0एस0–6 के प्रयोग से वायु प्रदूषण के नियंत्रण में सहयोग प्राप्त होगा। अतः इस परियोजना से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों द्वारा पूर्ण सहयोग के साथ करतल ध्वनि से सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

14/11/18

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

14/11/18

(रवीन्द्र कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0),
मथुरा।

जिलाधिकारी महोदय,

14/11/18